कार्यालय, जिलाधिकारी, खगड़िया।

(जिला विधि शाखा)

(3)

आम सूचना

सरकार के संयुक्त सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या–सी0/ए0एस0–50–40/2013–5225/जे0 दिनांक–12.07.2018 के द्वारा लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम से संबंधित वादों के संचालार्थ विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति हेतु बिहार विधि पदाधिकारी (वचनबद्धता) नियमावली 2017 के नियम–5(i)(क) में गठित खोजबीन समिति के माध्यम से सुयोग्य एवं उपयुक्त अधिवक्ताओं के नामों की नई अनुशंसा सूची विधि विभाग, बिहार, पटना को भेजी जानी है।

बिहार विधि पदाधिकारी (वचनबद्धता) नियमावली 2017 के नियम–6(ग)(vi) के आलोक में निहित अहर्त्ता के साथ–साथ आवेदक को बिहार विधि पदाधिकारी (वचनबद्धता) नियमावली 2017 के नियम–6(ग) के आलोक में विगत तीन वित्तीय वर्षों का आयकर निर्धारिती होने के समर्थन में पूर्व तीन वित्तीय वर्षों का अपना आयकर रिटर्न की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति तथा नियम–7(5) के आलोक में संसद अथवा राज्य के राज्य विधान मंडल अथवा किसी नगर निगम अथवा नगर परिषद्, पंचायत अथवा किसी स्थानीय प्राधिकार का सदस्य नहीं होने संबंधी लिखित स्वघोषणा की मूल प्रति बायोडाटा के साथ संलग्न करना होगा।

अतः बिहार विधि पदाधिकारी (वचनबद्धता) नियमावली 2017 के नियम–6(ग)(vi) के आलोक में निहित अहर्त्ता (अर्थात् न्यूनतम दस वर्षों का विधि व्यवसाय का अनुभव) को पूरा करने वाले विज्ञ अधिवक्ताओं से संलग्न प्रपत्र में बायोडाटा आमंत्रित किये जाते हैं। उक्त अहर्त्ता को पूरा करने वाले इच्छुक विज्ञ अधिवक्तागण बिहार विधि पदाधिकारी (वचनबद्धता) नियमावली 2017 के नियम–6(ग) एवं 7(5) के आलोक में वांछित कागजात एवं अनुभव प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति के साथ सूचना निर्गत की तिथि से दिनांक 16/10/18 .... **के अपराह्न** 3 P.M. **बजे** तक अपना–अपना बायोडाटा जिला विधि प्रशाखा, खगड़िया में प्रस्तुत करें। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्रस्तुत किये जानेवाले आवेदन पत्र (बायोडाटा) पर विचार नहीं किया जायेगा।

ह0/–
जिलाधिकारी,
खगड़िया।

ज्ञापांक-III-04/2018 1662 /विधि, दिनांक 01-10-18

प्रतिलिपिः–जिला सत्र एवं न्यायाधीश, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–प्रभारी न्यायाधीश (प्रशासन) व्यवहार न्यायालय, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–पुलिस अधीक्षक, खगड़िया को वचनबद्धता नियमावली 2017 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–अध्यक्ष/सचिव, जिला अधिवक्ता संघ, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इस सूचना की एक प्रति अपने कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रकाशित किया जाय।

ह0 ह0/01-10-18

प्रतिलिपिः—अध्यक्ष / सचिव, अनुमंडलीय अधिवक्ता संघ, खगड़िया / गोगरी को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इस सूचना की एक प्रति अपने कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रकाशित किया जाय।

प्रतिलिपिः—जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, खगड़िया / आई0टी0 मैनेजर, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि इस सूचना को खगड़िया जिला के अधिकारिक वेबसाईट पर तुरंत प्रकाशित किया जाय।

प्रतिलिपिः—अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया / गोगरी को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इस सूचना की एक प्रति अपने कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रकाशित किया जाय।

प्रतिलिपिः—लोक अभियोजक, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इस सूचना की एक प्रति अपने कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रकाशित किया जाय।

प्रतिलिपिः—सरकार के संयुक्त सचिव, विधि विभाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

अनुलग्नकः—बायोडाटा का प्रपत्र।

29/9/18

जिलाधिकारी,
खगड़िया।

खगड़िया जिला के लिए लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम से संबंधित विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति हेतु

बायोडाटा प्रपत्र

1. अधिवक्ता का नाम :– ....

2. पिता / पति का नाम :– ....

3. स्थायी पता :– ....

....

4. वर्त्तमान पता :– ....

....

5. मोबाईल नं0 / ईमेल आई.डी. :– ....

6. पैन नं0 :– ....

7. शैक्षणिक योग्यता :– ....

8. पंजीयन संख्या एवं वर्ष :– ....

9. अधिवक्ता के रूप में योगदान की तिथि :–..

10. अनुभव (सम्बद्ध बार एसोसियेशन से वकालत पेशा का अनुभव से संबंधित प्रमाण पत्र) :–

....

11. जाति / वर्ग

(सामान्य जाति / पिछड़ा जाति / अति पिछड़ा जाति / अल्प संख्यक / अनुसूचित जाति / अनु0 जनजाति / महिला) :– ....

12. अपराधिक इतिहास का पूर्ण विवरण (निष्पादित तथा लंबित सभी अपराधिक मामलों का विस्तृत विवरण दें) :–

....

13. नोटरी / बैंक अथवा किस संस्था का रिटेनर होने पर उसका विवरण दें :– ....

14. सत्यापन :– ....

मैं यह घोषणा करता / करती हूँ कि मेरे नाम से कोई व्यक्तिगत अथवा साझेदारी का व्यवसाय नहीं है।

स्थान :– ....

तिथि :– ....

आवेदक का हस्ताक्षर